भारत सरकार
कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 708
उत्तर देने की तारीख 12 दिसंबर, 2022
सोमवार, 21 अग्रहायण,1944 (शक)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला

708. श्री धनुष एम. कुमार: श्रीमती मंजुलता मंडल: श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री दिव्येन्दु अधिकारी: श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मेले के लिए चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार प्रतिक्रिया और अवसरों सहित युवाओं की भागीदारी कितनी रही है;

(ख) मेले में भाग लेने वाली देशभर की कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे मेलों के आयोजन से उम्मीदवारों और कंपनियों दोनों को मदद मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) तत्संबंधी कॉर्पोरेट कंपनियों में शिक्षुओं के रूप में नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्‌वारा ऐसे मेलों का आयोजन करने से क्या उपलब्धि हासिल की गई है; और

(च) सरकार द्‌वारा मेले को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्‌यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ) जी हां। सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन किया है। जून 2022 में इसके प्रारंभन से अब तक नवंबर 2022 के महीने तक पांच मेलों का आयोजन किया जा चुका है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जिले/स्थान और स्थानीय परिस्थितियों/त्योहारों आदि के आधार पर मेले के दिन का चयन करने के लचीलेपन के साथ कुल जिलों के 1/3 में प्रत्येक दूसरे सोमवार को पीएमएनएएमका आयोजन करें ताकि सभी जिलों को तिमाही में एक बार और वर्ष में चार बार शामिल किया जा सके।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुबंध-I पर है। मेलों ने कॉर्पोरेट कंपनियों सहित हितधारकों के बीच रुचि जगाई है। स्थापनाओं, भाग लेने वाले उम्मीदवारों और तैयार किए गए शिक्षुता संविदा के संबंध में राज्य-वार सूची अनुबंध-II पर है।

(ङ) सरकार शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से प्रति वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पीएमएनएएम का उपयोग प्रतिष्ठानों और उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में किया जा रहा है। यह भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों/उद्योगों में उपलब्ध विभिन्न अवसरों से संबंधित जानकारी भी युवाओं को प्रदान करता है। इस प्रकार पीएमएनएएम युवाओं और प्रतिष्ठानों/उद्योगों को शिक्षुता क्षेत्र मेंलाने अधिक से अधिक संख्या में सहायता करता है।

शिक्षुता मेले ऑन द जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल अंतराल को पाटने और उन्हें उद्योग के लिए तैयार और रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रतिष्ठानों/उद्योगों में युवाओं के लिए शिक्षुता के अवसर पैदा करते हैं।

पीएमएनएएमप्रतिष्ठानों/कंपनियों और उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी लाता है और भाग लेने वाली कंपनियों में मौजूद विभिन्न अवसरों पर युवाओं को जानकारी प्रदान करता है। सुधारों (सरलीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण), जागरूकता कार्यशालाओं, प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं के साथ निरंतर जुड़ाव, शिक्षुता मेलाऔर छात्रों और प्रतिष्ठानों के बीच शिक्षुता प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक पहुंच के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा दिया गया बल सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इन सभी पहलों के कारण शिक्षुओं की संख्या 2020-21 में 2.90 लाख से बढ़कर 2021-22 में 5.8 लाख हो गई है और इसी अवधि के दौरान व्यय 120 करोड़ रुपए से बढ़कर 217 करोड़ रुपए हो गया हैऔर प्रत्याशित है कि चालू वित्त वर्ष में संबद्ध शिक्षुओं की संख्या 10 लाख तक पहुंच जाएगी।

(च) शिक्षुता मेला आयोजित करने के लिए व्यापक प्रचार सरकारी मीडिया चैनलों जैसे प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), दूरदर्शन, सामुदायिक रेडियो, आकाशवाणी, माई गोव. (MyGov), प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया (एसएमएस) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्थानीय स्तर पर आईटीआई के माध्यम से राज्य/जिले की सक्रिय भागीदारी,पत्रक के माध्यम से, स्कूलों और कॉलेजों को जुटाकर, कौशल विकास और उद्यमशीलता क्षेत्रीय निदेशालयों (आरडीएसडीई), शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी), सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी), तृतीय पक्ष समूहक द्वारा प्रचार अभियान (टीपीए)और स्थानीय उद्योग संघ के माध्यम से किया जाता है।

सरकार छात्रों और प्रतिष्ठानों/उद्योगों के बीच शिक्षुता के बारे में जागरूकता पैदा करने और युवाओं के लिए शिक्षुता के अवसर पैदा करने के लिए पूरे देश में 250 शिक्षुता जागरूकता

कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रही है। इससे प्रतिष्ठानों और उम्मीदवारों के आवेदनों/पंजीकरणों को शिक्षुता अनुबंधों में परिवर्तित करने की अधिक भागीदारी होगी।

(i) वर्ष 2014 में शिक्षु अधिनियम, 1961 और 2019 नियम में संशोधन तथा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) की शुरूआत सहित विभिन्न सुधार किए गए हैं ताकि प्रतिष्ठानों को अधिक संख्या में शिक्षुओं को शामिल करने की सुविधा मिल सके। 2014 में शिक्षु अधिनियम, 1961 और 2019 में शिक्षुता नियम, 1992 में किए गए सुधार इस प्रकार हैं:

- शिक्षु नियुक्त करने वाले बैंड की उच्च सीमा को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। यह प्रतिष्ठानों को और अधिक शिक्षुओं को नियोजित करने की अनुमति देता है।
- प्रतिष्ठानों की अनिवार्य स्टाफ संख्या (शिक्षुओं को शामिल करने के लिए) को 40 से घटाकर 30 कर दिया गया है। इससे और अधिक प्रतिष्ठान इस अधिनियम के दायरे में आ गए हैं।
- वैकल्पिक नियुक्ति की मौजूदा सीमा को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। इससे शिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों में भी वृद्धि होगी।
- वृत्तिका को न्यूनतम मजदूरी से अलग कर दिया गया है और अब इसे विशेष पाठ्यक्रम/ट्रेड के लिए आवश्यक उम्मीदवार की शैक्षिक/कौशल अर्हता से जोड़ा गया है। इसने वृत्तिका की एकरूपता सुनिश्चित करते हुए वृत्तिका दरों में विसंगतियों को दूर कर दिया है।
- वैकल्पिक ट्रेड शुरू किए गए हैं, जो सेवा क्षेत्र में उद्योगों के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन में लचीलापन प्रदान करते हैं।
- शिक्षुता-एम्बेडिड डिग्री पाठ्यक्रमों की अनुमति है।
- गैर-इंजीनियरिंग डिग्री धारक भी कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने पर कारावास के प्रावधान को अर्थदंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(ii) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने पोर्टल और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रतिष्ठानों और शिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए एनएपीएस दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से अनेक कदम उठाए गए हैं। पोर्टल/शिक्षुता प्रक्रियाओं को आसान बनाने और शिक्षु नियोजन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 के बीच आठ कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किए गए:

- उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षुता पोर्टल की कार्यक्षमता को बढ़ाया गया है,
- प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाता (बीटीपी) दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।
- वैकल्पिक ट्रेड पाठ्यक्रमों की अवधि को संशोधित किया गया है (अधिकतम एक वर्ष)।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को सिद्धांत परीक्षा से छूट दी गई है।
- शिक्षुओं के लिए प्रत्येक तिमाही में आल इंडिया ट्रेड टेस्ट (एआईटीटी) निर्धारित किया जा रहा है ताकि उम्मीदवारों को वर्ष भर प्रमाणपत्र जारी किया जा सके।
- बड़े प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति है।
- केंद्रीय क्षेत्राधिकार वाले प्रतिष्ठानों की आसानी के लिएअनेक के बजाय एक क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई) का चयन करने की अनुमति है।
- यदि भुगतान पोर्टल भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, तो प्रतिष्ठानों द्वारा भुगतान का कोई प्रमाण अपलोड नहीं किया जाना चाहिए, और
- बुनियादी प्रशिक्षण (बीटी) और आन द जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) साथ-साथ किए जाने पर प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता की अनुमति है।

इसके अलावा मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय इकाइयों (सीपीएसयू) के साथ निरंतर काम कर रहा है और शिक्षुओं की अधिक संख्या को शामिल करने और शिक्षुओं को शामिल करने के लिए उनके ठेकेदारों और डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं की पूरी श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के लिए सीपीएसयू के शीर्ष प्रबंधन के साथ 02-05-2022 को आभासी बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही, पूरे देश में प्रस्तावित 250 शिक्षुता जागरूकता कार्यशालाओं और मासिक शिक्षुता मेले में सीपीएसयू की भागीदारी की परिकल्पना की जा रही है।

अनुबंध-I

अतारांकित प्रश्न संख्या: 708 के लिए 12-12-2022 को उत्तर दिया जाना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक मेले में जिलों/स्थानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों/स्थानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9
2	अरुणाचल प्रदेश	8
3	असम	11
4	बिहार	13
5	छत्तीसगढ	11
6	गोवा	1*
7	गुजरात	11
8	हरियाणा	7
9	हिमाचल प्रदेश	4
10	झारखंड	8
11	कर्नाटक	10
12	केरल	5
13	मध्य प्रदेश	18
14	महाराष्ट्र	12
15	मणिपुर	5
16	मेघालय	4
17	मिजोरम	4
18	नगालैंड	5
19	ओडिशा	10
20	पंजाब	8
21	राजस्थान	11
22	सिक्किम	2
23	तमिलनाडु	13
24	तेलंगाना	11
25	त्रिपुरा	3
26	उत्तर प्रदेश	25
27	उत्तराखंड	4
28	पश्चिम बंगाल	8
29	अण्डमान और निकोबार	1*
30	चंडीगढ़	1*
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1*
32	दिल्ली	4
33	जम्मू और कश्मीर	6
34	लक्षद्वीप	1*
35	लद्दाख	1*
36	पुदुचेरी	1
	योग	**257**

*छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तीन महीने में एक बार मेला आयोजित करने की अनुमति है।

अनुबंध-2

प्रतिष्ठानों, भाग लेने वाले उम्मीदवारऔर सृजित अनुबंधों का ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिष्ठान*	उम्मीदवारों ने भाग लिया*	अनुबंध सृजित **
1	आंध्र प्रदेश	812	11749	5359
2	अरुणाचल प्रदेश	6	471	7
3	असम	47	1511	3181
4	बिहार	263	16440	1929
5	छत्तीसगढ	71	2022	2014
6	गोवा	0	0	8578
7	गुजरात	1534	22814	13524
8	हरियाणा	433	14638	11974
9	हिमाचल प्रदेश	141	962	2560
10	झारखंड	46	4072	3190
11	कर्नाटक	302	6512	11047
12	केरल	223	6418	3271
13	मध्य प्रदेश	198	8152	15825
14	महाराष्ट्र	829	19833	34428
15	मणिपुर	5	130	4
16	मेघालय	0	0	40
17	मिजोरम	0	25	475
18	नगालैंड	0	0	1315
19	ओडिशा	304	6425	2236
20	पंजाब	238	6085	3476
21	राजस्थान	475	10007	8326
22	सिक्किम	3	47	6479
23	तमिलनाडु	1014	9020	15819
24	तेलंगाना	386	8382	6049
25	त्रिपुरा	5	456	3273
26	उत्तर प्रदेश	599	14021	16221
27	उत्तराखंड	136	2675	5786
28	पश्चिम बंगाल	86	3069	7339
29	अण्डमान और निकोबार	0	0	1
30	चंडीगढ़	14	235	300
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	13	185	2911
32	दिल्ली	283	3270	15865
33	जम्मू और कश्मीर	329	4154	6496
34	लक्षद्वीप	0	0	12650
35	लद्दाख	0	0	0
36	पुदुचेरी	42	501	2045
	योग	*8,836	*1,84,281	**2,33,993

*मेला दिवस के अनुसार प्रतिष्ठान और उम्मीदवारों ने भाग लिया।

**अखिल भारतीय आंकड़े - मेला दिवस के बाद 20 दिनों के लिए शिक्षुता अनुबंध की निगरानी की गई,जिसमें पीएमएनएएम के अलावा सृजित अनुबंध भी शामिल हो सकते हैं।

****